न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– डॉ0 साधना शर्मा, आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या :– 50/2024

1. गुड्डी देवी पत्नि श्री शिवशंकर जाति ब्राम्हण निवासी ग्राम जिरौली तहसील व जिला धौलपुर

_____ ——————————प्रार्थीया

बनाम

1. राज0 राज्य जरिये तहसीलदार धौलपुर

_____ अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र वास्ते पत्थर गढी अन्तर्गत 129 एल0आर0 एक्ट0

उपस्थितिः– श्री अशोक दिवाकर, एडवोकेट प्रार्थीया की ओर से

दिनांक – 28.10.2024

निर्णय

प्रार्थीया की ओर से प्रार्थना पत्र वास्ते पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 129 एल0आर0 एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया गया कि आ.ख.नं. 527 रकवा 0.6196 है0 बाके ग्राम दूंकापुरा पटवार हल्का लुहारी तहसील व जिला धौलपुर की तन्हा खातेदार काश्तकार है और मौके पर एकान्ति रूप से काबिज काश्त है। प्रार्थीया की आराजी ख.नं. 527 से ख.नं. 526, 589, 528, 686/529 आदि लगे हुए हैजो कि आए दिन प्रार्थी की आराजी पर जबरन वलपूर्वक चारो और से अवैध कब्जा करके रहेंगे और प्रार्थी ने उन्हे रोकार तो वे उसे जान से खत्म कर देगे। प्रार्थी व पडौसी खातेदारान से अपनी आराजी की माप कराने का निवेदन किया तो उन्होने नाप कराने से साफ इन्कार कर दिया था और धमकी दी कि वे तो अपने खसरा नम्बरों की कोई नाप नही करायेंगे वल्कि प्रार्थीया की आराजी 527 है0 पर जबरन बलपूर्वक नाजायज कब्जा करके रहेंगे। प्रार्थीया ने तहसीलदार धोलपुर को प्रार्थना पत्र अपनी आराजी की नाप कराने के लिए प्रस्तुत किया। तहसीलदार धौलपुर के आदेश से दिनांक 26.05.2024 को मौके पर जाकर प्रार्थी के ख.नं. 527 की पैमाईश की गई और प्रार्थी के ख.नं. 527 व पडौसी खातेदारान के ख.नं. 588, 589, 686/529 एंव 524, 525 व 526 की जबरी चलाकर पैमाईश की गई जिसमें प्रार्थी के हिस्सा की आराजी खसरा नम्बर 527 की जाकर मौके पर निसानात लगाए गए थे और मौका पर्चा तैयार किया गया परन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा लगाए गए निशानात को पडौसी खातेदारान ने मिटा दिया और प्रार्थी को धमकी दी कि आईन्दा अपनी आराजी की पैमाईश कराई तो वे प्रार्थी को जान से खत्म कर देगें। अतःप्रार्थी के ख.नं. 527 की पैमाईश कराने के आदेश के साथ तहसीलदार धौलपुर को पुलिस सहायता से पत्थर गडी कराने के ओदश दिए जावे।

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज0)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार धौलपुर से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार धौलपुर के पत्रांक 18122983 दिनांक 23.08.2024 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार धौलपुर द्वारा रिपोर्ट में पत्थरगढी कराया जाना उचित बताया है। पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध सीमाज्ञान मौका पर्चा दिनांक 30.05.2022 के अनुसार आ.ख.नं. 1258 ग्राम लुहारी के सीमाज्ञान हेतु मुस्तकिल बिन्दु ख.नं. 1303 गै0मु0 कुंआ से मुताबिक पटवार नक्शा मौके पर जरीब चलाकर आराजी का सीमाज्ञान कराया गया एंव निशानात से अवगत कराया गया।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए पत्थरगढी कराये जाने का कथन किया।

बहस सुनने उपरान्त पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र में यह तथ्य अंकित किया गया है कि प्रार्थी की आराजी से लगे हुए खसरा नम्बर 526, 589, 528, 530 आदि पडौसी खातेदारान प्रार्थी की आराजी पर जबरन कब्जा करने की धमकी देते रहते है तथा प्रार्थी की आराजी पर अवैध कब्जा करने को उतारू है। प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र में यह भी तथ्य अंकित किया है कि दिनांक 26.05.2024 को तहसीलदार धौलपुर द्वारा प्रार्थीया के ख.नं. 527 की पैमाईश की गई तथा मौके पर निसानात लगाए गए जिन्हे बाद मे पडौसी खातेदारान ने मिटा दिया और प्रार्थी को धमकी दी कि आईन्दा अपनी आराजी की पैमाईश कराई तो वह प्रार्थी को जान से खत्म कर देंगे। प्रार्थीया की ओर से पडौसी खातेदारान जिनके द्वारा अवैध कब्जा करने की धमकी दिया जाना तथा पैमाईश के निशानात को मिटाना इत्यादि कथन किया है, को पक्षकार प्रकरण नही बनाया गया है। जो प्रकरण के प्रभावी निस्तारण हेतु आवश्यक पक्षकार है। इस प्रकार प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र आवश्यक पक्षकार को पक्षकार प्रकरण नही बनाए जाने के दोष से ग्रसित होने के कारण पोषणीय नही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। प्रार्थीया आवश्यक पक्षकारान को पक्षकार प्रकरण बनाया जाकर पुनः प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु स्वतन्त्र है।

आदेश आज दिनांक 09.12.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ0 साधना शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज0)